



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-645/1817

रायपुर, दिनांक 15/06/2018

प्रति,

वन मंडलाधिकारी (नोडल)
मनेन्द्रगढ़ वन मंडल, मनेन्द्रगढ़
छत्तीसगढ़

विषय: — Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for widening & upgrading to 2 Lane with paved shoulder of NH-78 (New NH - 43) Katni - Gumla Road from Manendragarh to Dumariya (Baikunthpur) under NH corridor scheme in the State of Chhattisgarh, area - 36.99 ha. - regarding

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/21393/2016

संदर्भ: — मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त अंबिकापुर का पत्र क्रमांक/कैम्पा/874 दिनांक 06.06.2018

-00-

विषयान्तर्गत Public Works Department National Highway Zone Chhattisgarh द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत Widening & Upgrading of NH-43 हेतु मनेन्द्रगढ़ एवं कोरिया वन मंडल अन्तर्गत कुल क्षेत्र 36.99 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदन नोडल कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसमें निम्नानुसार कमियाँ पायी गई हैं :-

1. मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा प्रेषित 27 बिन्दु के चेक लिस्ट संलग्न नहीं है।
2. मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित Time Line संलग्न नहीं किया गया है।
3. कलेक्टर कार्यालय द्वारा FRA Certificate अपलोड नहीं किया गया है।
4. कोरिया वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में आनलाईन फार्म -ए, पार्ट-2 District wise area to be diverted in the division निरंक दर्शित है। सुधार आवश्यक है।
5. प्रकरण में आनलाईन फार्म -ए, पार्ट-2 में Legal status of forest land proposed for diversion total area = 34.8 दर्शित है। परन्तु फार्म -ए, पार्ट-1 में कुल व्यपवर्तित क्षेत्र 36.99 है। है।
6. वनमंडलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ का निरीक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में मनेन्द्रगढ़ वनमंडल अंतर्गत अपलोड नहीं किया गया है।
7. मुख्य सचिव द्वारा जारी गैर वन भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र संलग्न किये बिना क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आर.एफ./पी.एफ का चयन किया गया है जो मान्य नहीं है। गैर वन भूमि, निजी भूमि, राजस्व भूमि, राजस्व वन भूमि अथवा नारंगी वन क्षेत्र दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र में स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र तथा डी.जी.पी.एस सर्वे रिपोर्ट सहित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव प्रेषित करें।
8. प्रस्ताव प्रेषित करते समय मुख्य वन संरक्षक एवं वन मंडलाधिकारी का नाम, सील एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित करें अन्यथा प्रस्ताव मान्य नहीं किया जावेगा। यह प्रक्रिया समस्त प्रस्तावों के लिए अपनाई जाये।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त के माध्यम से प्रस्ताव शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें। कमियों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव मूलतः वापस 4 प्रतियों में प्रेषित है।

संलग्न: मूलतः प्रस्ताव 4 प्रतियों में

(एस.एस. बजाज)

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)

छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 15/06/2018

पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-645/1818

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, कोरिया वन मंडल, बैकुण्ठपुर।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)

छत्तीसगढ़